सं. 4/59/2012-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
.....

दिनांक 03 नवंबर, 2009

<u>व्यापार नोटिस सं. 02/2009</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में अन्य के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा याचिका की दो प्रतियां और साथ में उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया जाए।

3. व्यापार उद्योग को यह परामर्श दिया जाता है कि वे पाटनरोधी जांचों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें :

(i) प्रथम अवस्था में, याचिका का केवल अगोपनीय पाठ तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि याचिका की गोपनीय प्रति तैयार रखी गई है और वह जांच दल द्वारा मांगे जाने पर तुरन्त डीजीएडी के जांच दल को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ii) जैसे ही याचिका के गोपनीय पाठ की मांग की जाए, इसे यथाशीघ्र संबंधित जांच दल को सीधे प्रस्तुत किया जाए।

(नीरज कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में,

सभी संबंधित
(सूची के अनुसार)